

भारत गणराज्य की सरकार और क़ातार राज्य की सरकार  
के बीच सांस्कृतिक एवं तकनीकी सहयोग से सम्बद्ध करार

....

कला, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्रों की शैक्षिक गतिविधियां जिनमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी, क्रीड़ा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सूचना के माध्यम भी शामिल हैं, परस्पर निकटतर सम्बंध स्थापित करने और उन्हें विकसित करने की समान इच्छा से प्रेरित होकर ;

भारत गणराज्य की सरकार, और  
क़ातार राज्य की सरकार,  
नीचे लिखे करार पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हुई है :

अनुच्छेद-1

दोनों संविदाकारी पक्ष नीचे लिखी बातों को प्रोत्साहित करेंगे  
और सुविधाजनक बनाएंगे :

- ।क। व्याख्यान देने के लिए और शैक्षिक पाठ्यक्रमों और विशेष पाठ्यवर्गों तैयार करने के लिए प्रोफेसरों और विशेषज्ञों का आदान-प्रदान करना ;
- ।ख। शैक्षिक संस्थाओं तथा साहित्यिक, कला संबंधी, क्रीड़ा और पत्रकारिता संबंधी संगठनों के प्रतिनिधियों का एक-दूसरे के यहां आवागमन और इन क्षेत्रों के सम्मेलनों, वाद-विवाद प्रतियोगिताओं और गोष्ठियों में भाग लेना ;
- ।ग। संस्कृति, विज्ञान, शिक्षा और क्रीड़ा के क्षेत्रों में पुस्तकों, पत्रिकाओं और प्रकाशनों का आदान-प्रदान और अनुवाद ;

14। पुरावशेषों का उत्खनन, उनके रख-रखाव, परिरक्षण और प्रदर्शन के क्षेत्रों में अनुभव और ज्ञान अर्जित करने के लिए एक-दूसरे देश के पुरातत्वज्ञों का एक-दूसरे के यहां आवागमन तथा पुरातत्व प्रतिदर्शों का आदान-प्रदान ।

अनुच्छेद-2

दोनों संविदाकारी पक्ष अलग-अलग इस बात की कोशिश करेंगे कि एक-दूसरे के ऐसे छात्रों और शिक्षाविदों को छात्रवृत्तियां और सुविधाएं प्रदान की जाएं जो उच्चतर शिक्षा संस्थाओं और अनुसंधान प्रयोगशालाओं में अपना अध्ययन जारी रखना चाहते हों ।

अनुच्छेद-3

दोनों संविदाकारी पक्ष विश्वविद्यालयों व उच्चतर शिक्षा संस्थाओं की पाठ्यचर्याओं के बारे में सूचना का आदान-प्रदान करेंगे और दोनों पक्षों की संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली उपाधियों और शैक्षिक प्रमाण-पत्रों की समतुल्यता तय करने की संभावनाओं पर विचार करेंगे ।

अनुच्छेद-4

दोनों संविदाकारी पक्ष एक-दूसरे पक्ष की जीवन-प्रणाली के विभिन्न पक्षों को तथा उसकी संस्कृति को रेडियो, टेली विजन और प्रेस के प्रचार माध्यमों से एक-दूसरे के यहां प्रचारित करवाने का प्रयास करेंगे ।

अनुच्छेद-5

दोनों संविदाकारी पक्ष निम्नलिखित को सुविधाजनक बनाएंगे और सुदृढ़ करेंगे :

- ।क। कला और दूसरी प्रदर्शनियों का आदान-प्रदान ;
- ।ख। रेडियो और टेलीविजन के प्रोग्रामों का तथा रिकार्ड किए हुए टेपों और ग्रामोफोनों के रिकार्डों का आदान-प्रदान ;
- ।ग। सिनेमा के क्षेत्र में विशेषता का आदान-प्रदान और एक-दूसरे पक्ष द्वारा आयोजित फिल्म समारोहों में हिस्सा लेना ।

अनुच्छेद-6

दोनों पक्ष, जहां तक संभव होगा, अपने-अपने देशवासियों को पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से एक-दूसरे देश की सभ्यता और सांस्कृतिक परम्परा से परिचित कराने का प्रयास करेंगे ।

दोनों संविदाकारी पक्ष, जहां तक संभव होगा, इस बात का सुनिश्चय करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि उनकी शैक्षिक संस्थाओं में जो विदेशी पाठ्य-पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं उनमें दूसरे पक्ष के बारे में गलत तथ्य न हों और न तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया हो, खासतौर पर इतिहास और भूगोल के संबंध में ।

अनुच्छेद-7

दोनों संविदाकारी पक्ष एक-दूसरे के लिए प्रत्येक राज्य के कानूनों और विधियों के अनुसार तथा उसकी आम नीति के अनुसार शैक्षिक और सांस्कृतिक

उद्देश्यों के लिए सांस्कृतिक संस्थाओं और मैत्री संघों की स्थापना को प्रोत्साहित करेंगे । यह कार्य दूसरे पक्ष की सरकार की पूर्व अनुमति लेकर ही किया जाएगा ।

अनुच्छेद-8

इस करार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दोनों संविदाकारी पक्षों में एक संयुक्त समिति गठित की जाएगी जिसके सदस्य दोनों सरकारों द्वारा समानता के आधार पर नियुक्त किए जाएंगे । दोनों पक्षों की सहमति से इस समिति की बैठक बारी-बारी से नई दिल्ली में, जहां कि कोई भारतीय इसकी अध्यक्षता करेगा और दोहा में, जहां कि कोई कतारी इसकी अध्यक्षता करेगा, होंगी ।

दोनों में से किसी भी राज्य के विशेषज्ञ इस समिति में सलाहकार के रूप में शामिल हो सकते हैं । यह समिति इस करार की क्रियान्विति संबंधी प्रगति पर विचार करने के लिए निश्चित अवधि के बाद बैठकें करेंगी और यह इस करार के प्रभावकारी कार्यान्वयन के उपयुक्त सुझाव देगी ।

अनुच्छेद-9

यह करार अनुसमर्थन के अधीन होगा । उसके बाद यह अनुसमर्थन के दस्तावेज के आदान-प्रदान की तारीख से प्रभावी होगा ।

अनुच्छेद-10


यह करार पांच वर्ष की अवधि के लिए कारगर होगा और अगर दोनों में से कोई एक पक्ष इसे समाप्त करने की अपनी इच्छा को लिखित रूप में

सूचित नहीं करेगा तो यह इतनी ही अवधि के लिए अथवा अधिक अवधि के लिए स्वतः बंधीकरणीय होगा । इसे समाप्त करने की सूचना इस करार की अवधि समाप्त होने से कम-से-कम छह महीने पहले देनी होगी ।

इस उपरोक्त के साक्ष्य में इस करार पर दोनों सरकारों के यथोचित अक्षर से प्राधिकृत प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए हैं ।

आज ...चतुर्थ...जून... मास के दिवस दोहा में हिन्दी, अरबी और अंग्रेजी की दो-दो प्रतियों में सम्पन्न हुआ । प्रत्येक पाठ समाक्षर से वैद्य है और मतभेद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ सर्वोपरि होगा ।

  
भारत गणराज्य की सरकार  
की ओर से

  
कतार राज्य की सरकार  
की ओर से



Agreement of Cultural and Technical Cooperation between  
the Government of the Republic of India and the Government  
of the State of Qatar.

---

Prompted by the common desire to establish and develop  
closer relations between them in the fields of art, culture and  
education including academic activities in the spheres of science,  
technology, sports, public health and information media,  
the Government of the Republic of India, and  
the Government of the State of Qatar  
agreed to sign the following Agreement:

Article 1

The two contracting parties shall encourage and facilitate  
as follows:

- (a) Exchange of professors and experts to deliver lectures  
and organise educational courses and special syllabi;
- (b) Exchange of visits of the representatives of educational  
institutions and literary, artistic, sports, and  
journalistic organisations and participation in  
conferences, debates and seminars in these fields;
- (c) Exchange and translation of books, periodicals, and  
publications in the fields of culture, science, education  
and sports;
- (d) Exchange of the visits of archaeologists between the  
two countries to gain experience and knowledge in the  
fields of excavations, their maintenance, protection  
and display, as well as to exchange samples.

Article 2

Each of the two contracting parties will make endeavours to extend facilities and scholarships to the students and educationists of the other party desirous of prosecuting their studies in the institutes of higher education and research laboratories.

Article 3

The two contracting parties will exchange information and consider the possibilities of the syllabi of the universities and institutions of higher education in order to arrive at the equivalence of the degrees and educational certificates granted by the institutions of the two parties.

Article 4

Each of the two parties will make endeavours to introduce various aspects of the life style of the other party and its culture through the media of radio, television and press.

Article 5

Each of the two parties shall facilitate and strengthen the following:

- (a) Exchange of art and other exhibitions;
- (b) Exchange of radio and television programmes as well as recorded tapes and gramophone discs;
- (c) Exchange of expertise in the field of cinema and participation in film festivals organised by the other party.

Article 6

Each of the two parties shall endeavour to familiarise, to the extent possible, its people with the civilisation and cultural heritage of the other party through its text books.

Each of the two parties shall, to the extent possible, do everything in order to ensure that the foreign text books used in their educational institutions are free from errors and distortions, particularly in regard to history and geography, regarding the other party.

Article 7

Each of the two parties shall encourage establishment of cultural institutions and cultural objectives for the other party in accordance with the laws and regulations of each State and its general policy. This shall be done after obtaining prior approval of the Government of the other party.

Article 8

In order to realise the objectives of this Agreement, a joint committee of the two contracting parties shall be set up members of which shall be appointed by the two Governments on equal basis. The committee shall meet, with the agreement of the two parties, alternately in New Delhi where one of the Indians shall preside over it, and in Doha to be presided over by one of the Qataris.

Experts from any of the two States can join the committee as advisers. The committee shall periodically review the extent of progress in regard to the implementation of this Agreement and shall submit its suggestions conducive to the effective implementation of the Agreement.

Article 9

This agreement is subject to ratification. Thereafter it shall be effective from the date of the Exchange of the Instruments of Ratification.



Article 10

This Agreement shall be effective for a period of five years, automatically renewable for a similar or more periods if one of the parties did not intimate the other party in writing expressing its desire to terminate it. The intimation shall be given at least six months before the expiry of the Agreement.

In witness whereof, this Agreement has been signed by the duly authorised representatives of the two Governments.

Done this day the fourth of June, 1980, in the city of Doha in two copies each in Hindi, Arabic and English each text being equally valid and in case of difference of opinion English text shall prevail.

For the Government of the  
State of Qatar.



Mohamed bin Hamad Al-Thani  
Minister of Education



For the Government of the  
Republic of India



Romesh Bandari  
Secretary for Foreign Affairs

